भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 850
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

टियर-2 हवाई अड्डों का उन्नयन

850. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) टियर-2 हवाई अड्डों का उन्नयन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति और इसके लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में वर्तमान में कितने हवाई अड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं;

(ग) राजमुंदरी हवाई अड्डे के विस्तार, जिसमें नए टर्मिनल भवन, रनवे का विस्तार और भूमि अधिग्रहण शामिल है, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या ओएनजीसी और गेल जैसी प्रमुख पीएसयू कंपनियों की उपस्थिति और गल्फ देशों में बड़े प्रवासी समुदाय को देखते हुए राजमुंदरी को अंतरराष्ट्रीय या सीमा शुल्क हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजमुंदरी से मध्य-पूर्व या दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) किसी हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे घोषित करना, यातायात की क्षमता, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए राज्य सरकार या एयरलाइनों द्वारा मांग और द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यकताएं जैसे ग्राउंड लाइटिंग सुविधाएं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रनवे की लंबाई, आप्रवास, स्वास्थ्य एवं पशु और पौध संगरोध सेवाओं आदि पर भी विचार किया जाता है।

(ख) वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हवाईअड्डों पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालनरत हैं।

(ग): राजमुंदरी हवाईअड्डे के विस्तार के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 18,128 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र के साथ एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया है। वर्ष 2018 में एएआई द्वारा हवाईअड्डे के रनवे को पहले ही 3165 मीटर x 45 मीटर तक बढ़ाया जा चुका है।

(घ) और (ङ) : राजमुंदरी हवाईअड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक घरेलू हवाईअड्डा है। वर्तमान में, राजमुंदरी हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

*****